

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (Rev-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/

Dated the 2012

NOTIFICATION

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/ -In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2012 (Delhi Act 08 of 2012), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 9<sup>th</sup> day of August 2012, as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of  
the Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

(S. K. KAMRA)

Deputy Secretary-III (Finance)

Dated 11/8/2012

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/ 10810/545

Copy forwarded to: -

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part-IV extraordinary to today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
6. The Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax Department, New Delhi.
7. The Joint Secretary (Law), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
9. Guard File.
10. Website.

(S. K. KAMRA)

Deputy Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-02.

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/

दिनांक:

अधिसूचना

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/ :- दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा 09 अगस्त, 2012 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि नियत करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

(एस0 के0 कामरा)  
उप सचिव-III (वित्त)

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/ डी 22/11/545  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

दिनांक: 11/8/2012

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को (हिन्दी अनुवाद सहित अनुलिपि में) एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
4. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. नि0सं0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
6. आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
8. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. गार्ड फाईल ।
10. वेबसाईट ।

(एस0 के0 कामरा)  
उप सचिव-III (वित्त)